भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †471

दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

एनसीएमएम का मुख्य उद्देश्य

†471. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

डॉ. राजेश मिश्राः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

श्री चंदन चौहानः

श्री मनोज तिवारीः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्री शिवमंगल सिंह तोमरः

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के प्रमुख उद्देश्य और घटक क्या है;

(ख) महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में उत्कृष्टता केंद्रों और उद्योग-अकादमिक साझेदारी की भूमिका क्या है;

(ग) महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और शोधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) स्वच्छ ऊर्जा एवं राष्ट्रीय रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू क्षमता को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा क्षेत्रीय सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(च) हाल ही में राजस्थान में सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण खनन अन्वेषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के प्रमुख उद्देश्य हैं:

i ) घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता को सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करना।
i i ) खनिज गवेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रोद्यौगिकीय, विनियामक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाकर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मज़बूत करना।

एनसीएमएम के घटक हैं:

i ) महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना
i i ) विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण
i i i ) महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण
i v) व्यापार और बाज़ार
v) महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रोद्यौगिकीय उन्नति
vi ) मानव संसाधन विकास
vi i ) प्रभावी वित्तपोषण, फाइनेंसिंग और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना

(ख) खान मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) करने और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में घरेलू क्षमताओं को मज़बूत करने हेतु एनसीएमएम के तहत नौ प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के तौर पर मान्यता दी है। प्रत्येक सीओई उद्योग और शैक्षणिक महत्व (स्पोक्स) घटक की मुख्य क्षमता का लाभ उठाने के लिए, हब एंड स्पोक मॉडल पर एक कंसोर्टियम के तौर पर कार्य करता है।

सीओई महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में आरएंडडी को उन्नत करने में अहम भूमिका निभाता है:

- महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल) (टीआरएल) को 7/8 तक बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुसंधान करना;
- प्राथमिक, द्वीतियक और तृतीयक फ़ीडस्टॉक्स की एक विस्तृत रेंज के लिए सज्जीकरण, पृथक्करण, निष्कर्षण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी विकसित करना;
- खनिज प्रसंस्करण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नवीकृत प्रक्रिया उपकरण, स्पेशलिटी विशेष रसायन और अपचायक को डिज़ाइन करना और बनाना; तथा

- सज्जीकरण और निष्कर्षण प्रक्रिया के अधिकतम उपयोग के लिए डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करना।

(ग) खान मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i ) गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (ई.एल.) व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत, नीलामी प्रीमियम का एक भाग गवेषण करने वाले गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) धारक को दिया जाएगा।
i i ) राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) के वित्त पोषण से गवेषण परियोजना शुरू करने के लिए 38 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।
i i i ) मंत्रालय अलग-अलग संस्थानों/प्रयोगशालाओं/स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई आदि को अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है।
i v) खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए, संयुक्त अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों के लिए (□8 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 50% तक प्रतिपूर्ति) और गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) धारकों को (□20 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन व्यय का 50% तक) गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति स्कीम शुरू की गई है।

(घ) महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण खनिजों का गवेषण तेज़ कर दिया है। जीएसआई ने 2024-25 में 195 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं और 2025-26 में पूरे देश में 230 परियोजनाएं शुरू कीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) ने 2024-25 के दौरान, महत्वपूर्ण खनिज के गवेषण के लिए 62 परियोजनाएं और 2025-26 के दौरान 36 परियोजनाएं मंज़ूर की हैं।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन को सहायता प्रदाने करने के लिए संशोधित किया गया है।

- खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के 34 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की है।

- खान मंत्रालय ने गवेषण अनुज्ञप्ति के 7 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की है, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वीतियक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथ्ककरण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु ₹1,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन योजना अनुमोदित की है। मंत्रालय द्वारा योजना के दिशानिर्देश 02.10.2025 को जारी किए गए और योजना लागू की गई।

- ओवरबर्डन/ टेलिंग्स/ फ्लाई ऐश/ रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिज की प्राप्ति के लिए पायलट परियोजना के वित्त पोषण के लिए दिशानिर्देश 14 नवंबर 2025 को जारी किए गए हैं।
- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में गवेषण और विकास के लिए लिथियम ब्राइन के पांच ब्लॉक अधिग्रहीत किए हैं।

(ड.) मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 2022-23 से 2024-25 तक दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) और ग्रेफाइट के लिए चार गवेषण परियोजनाएं शुरू कीं और 2025-26 के दौरान, जीएसआई ने आरईई और कॉपर-ग्रेफाइट के लिए दो गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों में, जीएसआई ने राजस्थान में विभिन्न खनिज पदार्थों पर 220 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 88 गवेषण परियोजनाएं शामिल हैं। 2025-26 के दौरान, जीएसआई ने राजस्थान में विभिन्न खनिज पदार्थों के लिए 91 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 40 परियोजनाएं शामिल हैं।

*****